



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।  
(जिला भू-अर्जन शाखा)

ई-मेल:-dlao-giridih@jharkhandmail.gov.in

प्रेस विज्ञापित

कार्यालय अमीन से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार चरकी पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत निम्नांकित अवार्ड अज्ञात घोषित है :-

क्र.	अंचल का नाम	मौजा का नाम	अवार्ड सं.	खाता सं.	प्लॉट सं.	किस्म जमीन	रकबा (एकड़ में)
1	तिसरी	चन्दौरी	49	62	204/4	कृषि	0.0067
2	तिसरी	चन्दौरी	55	62	207/3	कृषि	0.0400
3	तिसरी	पलमरूआ	9	—	1334	कृषि	0.0150
4	तिसरी	पलमरूआ	15	—	1401	कृषि	0.0700
5	तिसरी	पलमरूआ	17	—	1402	कृषि	0.0100
6	तिसरी	पलमरूआ	18	—	1403	कृषि	0.0025

इस प्रेस विज्ञापित के द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सारणी में अंकित भूमि के मुआवजा भुगतान पर दावा करने हेतु भूमि संबंधी कागजात प्रेस विज्ञापित प्रकाशन के सात दिनों के अन्दर संबंधित रैयत जिला भू-अर्जन कार्यालय, गिरिडीह में समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद किसी प्रकार का दावा/आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा एवं The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement ACT 2013 की धारा 64 एवं 77(2) के आलोक में मुआवजा राशि L.A. कोर्ट, हजारीबाग भेज दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित रैयत स्वयं जिम्मेवार होंगे।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
गिरिडीह।  
29.06.2021

ज्ञापांक : भू0 अ0/सं0सं0.VII-78/2020/चरकी पहाड़ी/2021/834 दिनांक 01/07/2021

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस प्रेस विज्ञापित का प्रकाशन सभी दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस प्रेस विज्ञापित को गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाइट www.giridih.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, तिसरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गिरिडीह को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सादर सूचनार्थ।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
गिरिडीह।  
29.06.2021